

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -972/2022

अनवान : -

1. आरव पुत्र मोहनलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका कुदरती बली माता उर्मीला पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. वेदांशी पुत्री सुभाषचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका कुदरती बली माता अनिला देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 02.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 15/15 के प0न0 318/389(76) के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/2 की 0.2270 हैक्ट, प0न0 318/390(77) के किला न0 3 ता 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, प0न0 319/389 (75) के किला न0 21 की 0.2530 हैक्ट व प0न0 319/390 (78) के किला न0 1, 10, 11 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 14 किता की 3.2890 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 156/156 के प0न0 319/390 (78) के किला न0 4 की 0.2530 हैक्ट, 5/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 हैक्ट, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, प0न0 320/390 (79) किला न0 1, 10 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल क्षेत्रफल 1.5180 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 220/15 के प0न0 319/389 (75) के किला न0 22, 23 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट प0न0 319/390 (78) के किला न0 2, 3, 8, 9, 12 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन प0न0 318/390 (77) के किला न0 3, 7, 14, 15 की 1.012 हैक्ट व प0न0 319/390 (78) के किला न0 1, 6 ता 11 की 1.771 हैक्ट, प0न0 378/390 (79) के किला न0 1, 10 की 0.506 हैक्ट, कुल 13 बीघा भूमि पर वादी काबिज है व प0न0 319/389 (75) के किला न0 21 ता 23 की 0.759 हैक्ट व प0न0 319/378(78) के किला न0 1 ता 5 की 1.265 हैक्ट भूमि व प0न0 318/389 (76) के किला न0 24 की 0.253 हैक्ट, 25/1 की 0.026 हैक्ट, 25/2 की 0.



227 हैक्ट, प0न0 318/390(77) के किला न0 3 ता 5 की 0.759 हैक्ट कुल 13 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज व काश्त करती आ रही है लेकिन सहवन से दान पत्र में गलत अंकन होने के कारण वादी मुताबिक बंटवारा न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी स0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 दोनों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है परन्तु सहवन से दान पत्र में गलत अंकन हो गया है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 15/15 के प0न0 318/389(76) के किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट, 25/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/2 की 0.2270 हैक्ट, प0न0 318/390(77) के किला न0 3 ता 7, 14, 15 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, प0न0 319/389 (75) के किला न0 21 की 0.2530 हैक्ट व प0न0 319/390 (78) के किला न0 1, 10, 11 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 14 किता की 3.2890 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 156/156 के प0न0 319/390 (78) के किला न0 4 की 0.2530 हैक्ट, 5/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 हैक्ट, 6/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2280 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, प0न0 320/390 (79) किला न0 1, 10 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल क्षेत्रफल 1.5180 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 220/15 के प0न0 319/389 (75) के किला न0 22, 23 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट प0न0 319/390 (78) के किला न0 2, 3, 8, 9, 12 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। उक्त वाद भूमि जरिये दानपत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है, वादी का कथन है कि मुताबिक समझौता वादी न्यायालय से घोषणा करवाना चाहता है उक्त कथन एवं वादी के वाद

को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं० 1 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं० 1 को कोई एतराज नहीं है वादी के वाद को प्रतिवादी सं० 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 के एनएन प० न० 318/390 (77) के किला न० 6, 7, 14, 15 की 1.012 हैक्ट व प० न० 319/390 (78) के किला न० 1, 6 ता 11 की 1.771 हैक्ट, प० न० 378/390 (79) के किला न० 1, 10 की 0.506 हैक्ट कुल 13 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० न० 319/389 (75) के किला न० 21 ता 23 की 0.759 हैक्ट व प० न० 319/378(78) के किला न० 1 ता 5 की 1.265 हैक्ट भूमि व प० न० 318/389 (76) के किला न० 24 की 0.253 हैक्ट, 25/1 की 0.026 हैक्ट, 25/2 की 0.227 हैक्ट, प० न० 318/390(77) के किला न० 3 ता 5 की 0.759 हैक्ट कुल 13 बीघा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट- रतनपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -972/2022

अनवान : -

1. आरव पुत्र मोहनलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका कुदरती बली माता उर्मीला पत्नी  
मोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. वेदांशी पुत्री सुभाषचन्द्र नाबालिग जरिये संरक्षिका कुदरती बली माता अनिता देवी  
पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
राजस्व वाद संख्या 972 सन 2022 दिनांक 02.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण  
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम  
निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर  
साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13  
केएनएन प0न0 318/390 (77) के किला न0 6, 7, 14, 15 की 1.012 हैक्ट व प0न0 319/390  
(78) के किला न0 1, 6 ता 11 की 1.771 हैक्ट, प0न0 378/390 (79) के किला न0 1, 10 की  
0.506 हैक्ट कुल 13 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0न0  
319/389 (75) के किला न0 21 ता 23 की 0.759 हैक्ट व प0न0 319/378(78) के किला न0  
1 ता 5 की 1.265 हैक्ट भूमि व प0न0 318/389 (76) के किला न0 24 की 0.253 हैक्ट, 25/1  
की 0.026 हैक्ट, 25/2 की 0.227 हैक्ट, प0न0 318/390(77) के किला न0 3 ता 5 की 0.759  
हैक्ट कुल 13 बीघा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता  
है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि  
का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा  
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.6.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023  
में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-रतनपुरा